कामकाजी महिला

वर्ष 5 अंक 7 अक्टूबर, 1993 मूल्य : 2 रु०

अनहोनी त्रासदी

मुझे मां से मिला दो ! मां तुम कहां हो ?

एक नन्हीं बच्ची, वह कमल, मीनू या निर्मल कोई भी हो सकती है। वह मिट्टी के ढेरों और टूटी दीवारों के बीच खड़ी जोर-जोर से चिल्ला रही थी। उसे अन्य चीजों के साथ अपनी मां की भी तलाश थी। यह बच्ची अपने परिवार की एक मात्र सदस्य थी जो इस भयानक त्रासदी में से बच निकली थी। वह अपनी मां को कहां तलाश करती। उसकी मां को भयानक भूकम्प के तीव्र प्रहार ने पहली अक्टूबर को सांध्य बेला के समय ही सदा के लिए सुला दिया था। एक बारह वर्षीय बच्चा जिसका पूरा परिवार मलबे के बोझ तले कुचला गया था, उसे कोई क्या सहायता दे सकता है। इस भयानक त्रासदी ने उसकी बहन, उसकी मां को निगल लिया। अब दोनों बच्चे एक दूसरे से लिपट कर जार-जार रो रहे। मानो वे कह रहे हों—'हम अपनी मां और अपने बाप को कहां ढूंढे···'

महाराष्ट्र के लातूर और उसमानाबाद जिलों में यह भयानक एवं अभूतपूर्व त्रासदी घटी। किल्लारी जैसे कुछ गांव तो पूर्णतया बर्बाद हो गये। भूकम्प की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य, बम्बई, शोलापुर तथा कई अन्य नगर भी उसकी मार से बच न सके। एक बार फिर हमें ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं कि किल्लारी में मुसीबत के मारे लोग अभी भी भूकम्प के हलके झटके महसूस कर रहे हैं। यह खबर सही भी हो सकती है और साधारण लोगों की कपोल कल्पना भी क्योंकि उन्होंने एक भयानक त्रासदी को झेला है। ऐसी त्रासदी जिसका लोगों को शायद ही कोई अनुभव रहा हो।

यह एक ऐसी असाधारण त्रासदी थी जहां हजारों (समाचार पत्रों के अनुसार 30 हजार) लोग मारे गए। उनका कोई कसूर नहीं था। वे तो प्राकृतिक आपदा के

[शेष पृष्ठ 16 पर]

इस अंक में

अनहोनी त्रासदी	2
बीड़ी मजदूरों की आंध्रप्रदेश राज्य प्रसभा—एक रिपोर्ट	3
दिल्ली में 19 अगस्त का जेल भरो आंदोलन	5
आई.सी.डी.सी. परियोजनाओं के निजीकरण का खतरा	6
होशियारपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का सफल सम्मेलन	7
शानदार सफल रहा 9 सितंबर का भारत बंद	8
आंगनवाड़ी केन्द्रों के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष	9
जयसिंघपुर के तम्बाकू उद्योग की कामकाजी महिलाओं का खाड़कू संघर्ष	10
आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना	13
पुलिस ने आँगनवाड़ी सेविका पर झूठा मुकदमा बनाया	15

फोटो : दिल्ली में 19 अगस्त, 1993 के जेल भरो आंदोलन में सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा गिरफ्तारियां दीं।

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं० 3714071) सम्पादित और प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-110095 से मुद्रित।

बीड़ी मजदूरों की आंध्र प्रदेश राज्य प्रसभा—एक रिपोर्ट

के. हेमलता

आंध्र प्रदेश राज्य बीड़ी मजदूरों की राज्य स्तरीय प्रसभा गत 22-8-93 को वारंगल शहर में आयोजित की गई। प्रसभा-स्थल पद्मासाली भवन का नाम कामरेड सूर्यवती के नाम पर 'कामरेड मनिकोंडा सूर्यवती नगर, रखा गया था। ज्ञातव्य है महिलाओं और खेत मजदूरों के हितों के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाली इस नेता का गत 4-7-93 को देहांत हो गया था।

प्रसभा का आयोजन राज्य स्तर पर बीड़ी मजदूरों को संगठित करने का सीटू का पहला प्रयास था। भले ही राज्य के कुछ जिलों में सीटू यूनियनों का अस्तित्व है तथापि बीड़ी मजदूरों की राज्य स्तरीय समिति या तालमेल समिति नहीं है। कामकाजी महिलाओं की राज्य स्तरीय तालमेल समिति ने बीड़ी मजदूरों जिनकी संख्या 6 लाख से भी अधिक है तथा इनमें से 90 प्रतिशत महिलाएं हैं, को संगठित करने का फैसला किया। इसके पश्चात् प्रसभा की तैयारियों के संबंध में अलेम, वारंगल तथा आदिलाबाद में सभाओं का आयोजन किया गया। सक्रिय कार्यकर्ताओं की एक बैठक 15-5-93 को हुई। उसी बैठक में फैसला किया गया कि बीड़ी मजदूरों की राज्य स्तरीय प्रसभा वारंगल में की जाए।

प्रसभा में सात जिलों से आए लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अधिकांश कार्यकर्ता महिलाएं थीं और पुरुषों की संख्या उनकी तुलना में काफी कम थी। हाल खचाखच भरा हुआ था।

सीटू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति के महासचिव काम. एन प्रसाद राव ने झंडा लहराने की रस्म अदा की।

सीटू की वारंगल जिला समिति के सचिव तथा स्वागती कमेटी के अध्यक्ष का. जी. रामुलू ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

का. पुनयायी, कासिम तथा विजयलक्ष्मी पर आधारित अध्यक्षमंडल ने प्रसभा की कार्यवाई का संचालन किया।

का. सूर्यवती के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किये जाने के पश्चात् प्रतिनिधियों ने कुछ देर मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय तालमेल समिति की सचिव तथा सीटू सचिव का. विमल रणदिवे ने प्रसभा का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटनी भाषण में उन्होंने राज्य सीटू तथा कामकाजी महिलाओं की समिति द्वारा बीड़ी मजदूरों जो समाज का सर्वाधिक शोषित वर्ग है, को संगठित करने के फैसले पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अधिकांश बीड़ी मजदूर महिलाएं ही हैं जो अपने घरों में बच्चों तथा परिवार के दूसरे सदस्यों की सहायता से काम करती हैं। वे अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखती हैं। क्योंकि वे महिलाएं हैं और असंगठित हैं, इसलिए मालिक तथा ठेकेदार उनका भारी शोषण करते हैं। और भारी मुनाफा कमाते हैं। यद्यपि बीड़ी एण्ड सिगार एक्ट तथा वेलफेयर फंड एक्ट जैसे कानून बने हुए हैं, किन्तु उन पर अमल ही नहीं किया जाता। उन्हें पहचान पत्र नहीं दिए जाते। कुछ मामलों में तो पहचान पत्र परिवार के पुरुष सदस्य के नाम पर जारी किये जाते हैं ताकि महिला मजदूर को प्रसूति-लाभ देने से बचा जा सके। उन्हें पुरुषों के समान वेतन नहीं दिये जाते। तम्बाकू के कारण महिलाओं तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है किन्तु इस पर भी उनके लिए समुचित डाक्टरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। उनके वेतनों में से भविष्य निधि फंड तो काटा जाता है किन्तु उसे उनके खातों में जमा नहीं कराया जाता। एक बार जब महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगी और संगठित होकर संघर्ष करेंगी, तब निश्चित रूप से उनकी स्थिति में सुधार होगा। का. रणदिवे ने अपने भाषण में ब्यावर (राजस्थान), शोलापुर (महाराष्ट्र) तथा पश्चिम बंगाल में बीड़ी मजदूरों द्वारा किये गए महान संघर्षों के उद्धरण भी दिए। इन मजदूरों में अधि-

कांश मुसलमान महिलाएं थीं। उन्होंने मजदूरों को आह्वान किया कि वे संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। उन्होंने राज्य स्तर पर यूनियन बनाने के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने बताया कि सीटू ने बीड़ी मजदूरों की अखिल भारतीय तालमेल समिति बनाई है। यह समिति राष्ट्रीय स्तर पर बीड़ी मजदूरों के हित में संघर्ष करेगी।

कामकाजी महिलाओं की राज्य स्तरीय तालमेल समिति की सचिव कामरेड के. हेमलता ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने राज्य में बीड़ी मजदूरों की कामकाजी परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन बहुत ही कम हैं किन्तु कई जिलों में मजदूरों को उसका भुगतान भी नहीं किया जाता। उन्हें पहचान पत्र नहीं दिये जाते। प्रति 1,000 के पीछे 200-300 बीड़ियों का 'छाट' बनाना पड़ता है। उन्हें पर्याप्त मात्रा में बीड़ी पत्तों की आपूर्ति नहीं की जाती। यह पत्ता मजदूरों को अपनी जेब से खरीदना पड़ता है। भविष्य निधि खातों को ठीक नहीं रखा जाता। उन्होंने बीड़ी मजदूरों की राज्यस्तरीय यूनियन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिपोर्ट में बी डी ए सहित, प्रति 1,000 बीड़ी 35 रुपये देने, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देने, पर्याप्त मात्रा में बीड़ी पत्ते की आपूर्ति करने, 20 प्रतिशत बोनस देने, सप्ताह में 6 दिन के काम की गारंटी देने, साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक छुट्टियां देने, बुढ़ापा पेनशन की व्यवस्था करने, कल्याण योजनाओं पर अमल करने तथा ठेका प्रणाली की समाप्ति जैसी मांगें भी शामिल की गई गई थीं।

13 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर हुई बहस में भाग लिया। इनमें सात महिलाएं भी थीं।

अलेम की का. वारलक्ष्मी तथा विजयलक्ष्मी ने बताया कि उन्हें प्रति 1,000 बीड़ियां बनाने पर केवल 16 रुपये दिये जाते हैं। जब उन्होंने पहचान-पत्र देने की मांग रखी तो मालिकों ने उन्हें धमकियां देनी शुरू कर दीं कि उस स्थिति में उन्हें कारखानों में काम करना पड़ेगा। वे इसके लिए तैयार नहीं हैं। मालिकों ने धमकी दी है कि यदि वे मांगें रखने लगेंगी तो वे उन्हें काम देना बंद कर देंगे। उन्होंने अनुभव किया कि शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक मजबूत यूनियन की आवश्यकता है।

कुर्नूल की का. ऐशय्या ने बताया कि यूनियन बनाने के पश्चात् वे दो-दो वर्ष के पश्चात् वेतनों में वृद्धि कराने में सफल रही हैं। किन्तु अभी भी उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राज्य स्तरीय यूनियन बनाने की भी आवश्यकता है।

आदिलाबाद की का. राघवुलू, सयामा तथा विजया ने भाषण दिये। उन्होंने बताया कि वे सीटू में इस लिए शामिल हुई थीं क्योंकि एटक यूनियन जिसमें वे पिछले 15 वर्षों से काम करती रही थीं, उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही थी।

वारंगल के का. कासिम ने बताया कि उन्होंने लम्बे संघर्षों के पश्चात् पहचान-पत्र, भविष्य निधि फंड इत्यादि मांगें मनवाई हैं। अब वे पैकर्स को संगठित कर रहे हैं जिनकी उद्योग में प्रमुख भूमिका होती है।

का. हुसैन वली, दस्तागिरी, कनाकाया, राजाया, भाग्यलक्ष्मी इत्यादि ने भी बहस में भाग लिया।

रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई। शरद ऋतु के सत्र के समय विधान सभा के समक्ष धरना देने का निर्णय किया गया। इससे पहले जिला स्तरीय बैठकें की जाएंगी।

साम्प्रदायिक सद्भावना, न्यूनतम वेतन, कल्याण कानूनों तथा 9 सितम्बर के भारत बंद के सम्बन्ध में भी प्रस्ताव पारित किये गये।

एक 14 सदस्यीय संगठन-समिति का गठन किया गया। का. हेमलता को इसकी सचिव चुना गया।

का. एन प्रसाद राव ने प्रसभा का समापन किया। उन्होंने राज्य स्तरीय यूनियन बनाने का स्वागत करते हुए सीटू की ओर से हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों और संघ-भाजपा के नेतृत्व में साम्प्रदायिक शक्तियों ने किस प्रकार देश की एकता को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने बीड़ी मजदूरों से अपील की कि वे एक होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें तथा मजदूर आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल हों जो सरकार की नीतियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। कामरेड हेमलता ने धन्यवाद भाषण दिया।

दिल्ली में 19 अगस्त का जेल-भरो आंदोलन

कालिंदी देशपांडे

ट्रेड यूनियनों और जन-संगठनों की अभियान समिति के आह्वान पर 19 अगस्त, 1993 को जेल भरो दिवस मनाया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली की महिलाओं ने भारी संख्या में गिरफ्तारियां दीं। इस प्रकार उन्होंने नरसिम्हा राव और उसकी सरकार को जता दिया है कि वे अधिक समय तक उनकी कठोर एवं कमर तोड़ने वाली आर्थिक नीतियों को सहन नहीं करेंगी। वे आवश्यक वस्तुओं की दिनों-दिन बढ़ रही कीमतों के कारण परेशान हो चुकी हैं, वे प्रतिदिन के बस किराए में वृद्धि से उकता चुकी है, वे पानी और बिजली के लिए घंटों प्रतीक्षा करते-करते तंग आ चुकी हैं, वे अपर्याप्त सरकारी डाक्टरी सुविधाओं से ऊब चुकी हैं और इससे भी बढ़कर परिवार के बढ़ते बजट ने उनके नाक में दम कर रखा है। अब वे संघर्ष करने की मुद्रा में हैं।

सुबह दिल्ली के सभी क्षेत्रों से महिलाओं से भरे टैम्पो निकले। उन पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की दिल्ली इकाई के बैनर लगे हुए थे। ये सैकड़ों महिलाएं जो मजदूर वर्ग के साथ सम्बन्ध रखती थीं जन्तर-मन्तर पार्क में एकत्रित हुईं। वहां से उन्होंने संसद भवन की ओर मार्च करना था ताकि नरसिम्हा राव के बहरे कानों तक उनकी आवाज पहुंच सके। शायद इसीलिये उनके तेवर उग्र थे। जन्तर-मन्तर में तैनात दिल्ली पुलिस की भारी टुकड़ी उन्हें रोक नहीं पाई। वास्तव में, वे लोग समझते थे कि इस संघर्ष में महिलाएं अकेली नहीं हैं। मजदूर, नौजवान, छात्र, सरकारी कर्मचारी, वाम तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी उनके साथ हैं। ये सभी वहां मौजूद थे। नरसिम्हा राव सरकार की पुलिस फोर्स की मौजूदगी ने उनमें संघर्ष की भावना को और दृढ़ ही किया।

एकता और संघर्ष की इसी भावना के साथ ही दोपहर को जुलूस वहां से चला। जुलूस के आगे महिलाओं का दस्ता था। सभी महिलाओं ने जनवादी महिला समिति के झंडे पकड़े हुए थे। इसमें संदेह नहीं कि सभी नारे कांग्रेस-इ सरकार की नयी आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों के विरोध में थे तथा पिमहिलाओं ने कीमतों में वृद्धि और आवश्यक वस्तुओं के कोटे में कटौती जैसे विषयों पर अपनी ओर से गीत भी तैयार किये थे। जिनसे महिलाओं की भावनाओं की अच्छी अभिव्यक्ति हो रही थी। शकरपुर से आई महिलाओं के हाथों में ढोलकियां थीं। वे "महंगाई ने मुझको मारा, सभी को मारा···" गीत गुनगुना रहीं थी। हास्य रस और व्यंग्य से परिपूर्ण इस गीत में बताया गया था कि कैसे कोई व्यक्ति रुपयों का भरा थैला लेकर घर से निकलता है और बदले में कुछ वस्तुएं ही खरीदकर घर ला पाता है। इस गीत के माध्यम से नरसिम्हा राव को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि यदि उसने अपनी नीतियां नहीं बदलीं तो महिलाएं उसे शीघ्र ही उठाकर कूड़ेदान में फेंक देंगी। एक ओर गीत में बताया गया था कि किस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विश्व बैंक के निर्देशों पर देश को गुलाम बनाया जा रहा है। इस प्रकार गीत गाती, तालियां बजातीं और जोश पूर्ण नारे लगाती हुई महिलाएं उन अवरोधों की ओर बढ़ रही थीं जो दिल्ली पुलिस द्वारा थाना संसद मार्ग के आगे खड़े किये गये थे। महिलाओं के जत्थे का नेतृत्व अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की महासचिव का. वृंदा करात, दिल्ली राज्य समिति की सचिव इंद्राणी मजूमदार, अध्यक्ष कालिंदी देशपांडे तथा सेक्रेटेरिएट की सभी सदस्याएं कर रहीं थीं। अवरोधों की पहली पंक्ति को नौजवानों और छात्रों के जत्थे ने तोड़ दिया ताकि महिलाओं का जत्था आगे बढ़ सके और अवरोध की मुख्य पंक्ति को तोड़ा जा सके।

महिलाओं ने यह काम करने में देर नहीं की। उनके मार्ग में लोहे के भारी अवरोधक बाधा बने। किन्तु उन्होंने अपनी जबर्दस्त शक्ति का परिचय देते हुए अंततः उसे तोड़ दिया। सभी महिलाएं और उनकी सभी नेता

वहां से आगे बढ़ गईं। पुलिस के लिए तह बात अपमानजनक थी। इसलिए उसने पुनः अवरोधक खड़े कर दिए और जुलूस पर पानी के गोले छोड़ना शुरू कर दिया ताकि महिलाओं के आगे बढ़ते प्रवाह को किसी प्रकार रोका जा सके। इस पर भी महिलाएं नहीं डगमगाईं। इन्द्राणी के कान पर पानी का एक गोला लगा जिससे उसके कान में घाव हो गया किन्तु उसने बड़ी बहादुरी के साथ उसके दर्द को सहन किया। राज्य समिति की एक सदस्या मोनिका मलिक बहादुरी का सबूत देते हुए एक अवरोध पर चढ़ गयीं। इतने में पानी का एक गोला उसकी टांगों में लगा जिसके परिणामस्वरूप उसकी टांगें हवा में झूलने लगीं। इस पर भी उस बहादुर महिला ने अवरोध को नहीं छोड़ा। महिलाओं की दृढ़ता को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किये। इसके साथ ही डंडे बरसाए गए। तभी मोनिका का अपने पर नियंत्रण नहीं रहा और वह नीचे गिर पड़ी। उसके कूल्हे की हड्डी टूट गई और सिर पर घाव हो गया। इससे महिलाएं और जोश में आ गयी। उन्होंने दूसरे साथियों की सहायता से अवरोधक तोड़ने का अंतिम प्रयास किया। अंततः उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया।

कोई भी व्यक्ति यह पूछ सकता है कि आखिर लोग और विशेष रूप से महिलाएं इतनी क्रुद्ध क्यों थीं? वे अपने रोजमर्रा के घरेलू कामों को छोड़कर गलियों में आने को आमादा क्यों हुईं? अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा चलाए गए लम्बे अभियान से उन्हें कठोर वास्तविकता का अभास हुआ। सरकार द्वारा कीमतों पर नियंत्रण रखने के बारे में किए जा रहे लम्बे-चौड़े दावों के बावजूद स्थिति उसके विपरीत है। इस अभियान के समय एक महिला ने कहा था: "हमें जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। हमें इसे बाजार से खरीदना पड़ता है जहां एक बोतल 5 रुपये (मात्रा 750 मिली लीटर) में मिलती है। सरकार अप्रत्यक्ष ढंग से हमारे साथ धोखा कर रही है।"

एक और महिला ने शिकायत की थी: "मेरे पति ने 150 रुपये वाला डी टी सी का सर्वमार्गी पास बनाया है। किन्तु अब यह पास निजी बसों में मान्य नहीं रहा। उसे परिवहन पर प्रतिदिन 8 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ते हैं। इससे परिवार के बजट पर और बोझ बढ़ गया है।" कुछ महिलाएं अपनी कालोनियों में बिजली के बार-बार चले जाने और पानी की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण क्रुद्ध थीं। उन कालोनियों में नागरिक सुविधाएं नहीं के बराबर हैं। वहां के अस्पतालों में जीवन-रक्षक दवाइयां रोगियों को नहीं दी जाती। लगभग सभी महिलाएं अतिरिक्त आय अर्जित करने का प्रयास करती हैं ताकि वे किसी न किसी प्रकार परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। लगभग सभी महिलाएं उच्च स्थानों जिनमें प्रधान मंत्री भी शामिल हैं, पर व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से भी बेहद चिंतित थीं। कुछ यह समझने में असमर्थ थीं कि कैसे देश के कुछ परिवार करोड़ों रुपये की बातें करते हैं जबकि उनके जैसे अनेक गरीब परिवार भूखों मर रहे हैं। यद्यपि राव सरकार की बातों के 'संरचनात्मक सामंजस्य' की सैद्धांतिक समझ उनमें नहीं थी तथापि वे एक बात को स्पष्ट रूप से कह रही थीं कि राव सरकार की नीतियों का दुष्प्रभाव जनसंख्या के विशाल बहुमत पर पड़ रहा है। यही वह कठोर वास्तविकता थी जिसने उन्हें राव सरकार की जन-विरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने और दिल्ली की सड़कों पर इतनी भारी संख्या में आ जाने को बाध्य किया है।

आई सी डी सी परियोजनाओं के निजीकरण का खतरा

योजना आयोग की सदस्या श्रीमती गोपालन ने गत 21-23 जुलाई, 1993 को नयी दिल्ली में आयोजित फोसिस वर्कशाप में बताया कि सरकार आई सी डी एस परियोजनाओं को एन जी ओस सेक्टर के हवाले करने को तैयार है। राजस्थान और गुजरात में पहले ही 600 से अधिक परियोजनाओं को एन जी ओस से सम्बन्धित धार्मिक संस्थानों और विदेशी मुद्रा से चलने वाले संस्थानों द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जा चुका है। सीटू ने इस अभियान के विरुद्ध पूरी दृढ़ता के साथ संघर्ष किया है और बताया है कि ऐसी नीति आई सी डी एस परियोजनाओं में कार्यरत कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिये खतरनाक है। सभी आंगनवाड़ी यूनियनों को अपनी नौकरियों पर किये जा रहे इस हमले और आई सी डी एस के अन्तर्गत अपने कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु संघर्ष करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

होशियारपुर में आंगनवाड़ी महिलाओं का सफल सम्मेलन

पंजाब के प्रमुख नगर होशियारपुर में गत 26 सितंबर को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षा यूनियन की राज्य अध्यक्ष श्रीमती राजविन्द्र कौर ने की। सम्मेलन में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्रीमती जगीर कौर जिन्होंने मंच सचिव के कर्त्तव्यों का निर्वहन भी किया, ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से अपील की कि वे अपने संगठन को और मजबूत बनाए। ऐसा करके ही लम्बित मांगों को मनवाया जा सकेगा। सम्मेलन में श्रीमती निर्मल कान्ता राज्य महासचिव, सर्बजीत कौर राज्य समिति सदस्या, सर्बजीत कौर, कमलेश कुमारी, सर्बजीत कौर भट्टी सभी जिला समिति सदस्याएं, ने भी भाषण दिये। उन्होंने सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं के लिये वेतन मान अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमानों के अनुरूप करने की न्यायोचित मांग को स्वीकार कर लेने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ देने, सुपरवाइजर के लिये कार्यकर्ताओं का कोटा 100 प्रतिशत रखने, आंगनवाड़ी केन्द्र में पूरा राशन तथा दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की। उन्होंने 25 अप्रैल को जालन्धर के राज्य सम्मेलन में लिये गए फैसलों पर अमल करने का अपना निश्चय दोहराया। प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष श्रीमती राजविन्द्र कौर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि प्रतिनिधियों ने तथा कथित अध्यक्षा सुरेन्द्र कौर टीचर के फूट परस्त इरादों को मुंह तोड़ जवाब दिया है।

पंजाब सुबार्डीनेट सर्सिज फेडरेशन के वरिष्ठ उप प्रधान डाक्टर सुखदेव सिंह ढिल्लों ने हर प्रकार की भ्रातृ सहायता का वचन देते हुए कहा कि पंजाब में आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन फेडरेशन द्वारा बनाई गई थी। इन मुलाजमों को संघर्ष और एकता के मार्ग पर चलने से रोकने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। जनवादी महिला समिति की नेता कामरेड बिमला देवी ने महिलाओं को आह्वान किया कि वे अत्याचारों और असमानताओं को समाप्त करने के लिये एक हो जाएं। सी डी पी ओ एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह ने भी सम्मेलन में भाषण दिया। उन्होंने कर्मचारी एकता के लिये सहायता देने का आश्वासन भी दिया। प्रिंसिपल प्यारा सिंह महासचिव गवर्नमैंट टीचर्स यूनियन, महा सिंह रौड़ी पैरा मेडिकल नेता, प्रेम रक्कर अध्यापक नेता, ने भी यूनियन के संघर्ष में हर सम्भव सहायता देने का आश्वासन दिया।

जिला नेतृत्व की नई टीम का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। अधोलिखित पदाधिकारी चुने गए प्रधान जगीर कौर डानसीवाल, वरिष्ठ उप प्रधान हरबीर कौर, उप प्रधान-हरविन्द्र कौर, महासचिव-कैलाश तूर, संयुक्त सचिव-सर्बजीत कौर, खजान्ची-कमलेश कुमारी, संगठन सचिव-सर्बजीत कौर भट्टी, सहायक सचिव-वीना रानी; सदस्य कार्यकारिणी-कुलवंत कौर, आशा रानी, रेशम कौर, बीबी सिब्बो तथा रछपाल कौर।

नए पदाधिकारियों के सम्मान में तथा मांगों के पक्ष में प्रतिनिधियों ने गर्मजोशी के साथ नारे लगाए। जिला समिति की वरिष्ठ उप प्रधान श्रीमती हरबीर कौर द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया। इसके साथ ही सम्मेलन समाप्त हो गया।

अवश्य पढ़ें

कामकाजी महिला

(हिन्दी द्विमासिक पत्रिका)

कीमत : एक प्रति : 2 रुपये
वार्षिक चन्दा : 12 रुपये

अपनी प्रतियों के लिए हमें लिखें :

सी आई टी यू 15, ताल कटोरा रोड
नई दिल्ली-110001

शानदार सफल रहा 9 सितंबर का भारत बंद

विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक फ़ेडरेशनों, किसान संगठनों तथा छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, सांस्कृतिक कर्मियों, कारोबारी लोगों, खेत मजदूरों इत्यादि पर आधारित जन संगठनों के मंच ने भारत सरकार की देश को बर्बाद करने वाली आर्थिक नीतियों तथा साम्प्रदायिकता के विरोध में आयोजित 9 सितम्बर 1993 के भारत बंद को जबरदस्त एवं शानदार ढंग से प्रतियुत्तर देने पर देश की जनता को बधाई दी है।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कई लाख छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और ग्रामीण जनता के साथ-साथ 20 लाख से भी अधिक मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया है। बंद के विरुद्ध इलेक्ट्रानिक और प्रिंट माध्यमों पर गलत और भ्रामक प्रचार किये जाने, प्रशासन द्वारा दमन की कार्रवाईयां किये जाने, बंद को नाकाम करने हेतु उसकी तैयारियों में विघ्न डालने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न जन संगठनों के कार्यकर्ताओं और मजदूरों को हजारों की संख्या में गिरफ्तार किये जाने के बावजूद बंद को शानदार सफलता मिली है। इस बंद के द्वारा देश की जनता ने भारत सरकार से देश की आर्थिक साम्प्रभुता को दांव पर लगाने की नीति छोड़ने की जोरदार मांग ही नहीं की अपितु साम्प्रदायिक शक्तियों की जनता में फूट डालने की कार्रवाइयों के विरुद्ध भी कड़ी चेतावनी दी है। बंद की सफलता इस लिए भी शानदार रही क्योंकि देश भर में जनता के विशाल भाग ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया है।

औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों ने भारी संख्या में बंद के आह्वान को अपना प्रत्युत्तर दिया। राज्य सरकारी एवं राज्य सरकारी संस्थानों के 60 लाख कर्मचारियों तथा अध्यापकों ने देश भर में हड़ताल में भाग लिया। पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, केरल, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में हड़ताल लगभग सम्पूर्ण रही जबकि दूसरे राज्यों में 80 प्रतिशत राज्य सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सेवाएं समाप्त करने या दण्ड की अन्य कार्रवाईयाँ किये जाने से संबंधित अनेक धमकी भरे नोटिस मिलने पर भी कई स्थानों पर सक्रिय रूप से हड़ताल में भाग लिया। विशेष रूप से डाक तार कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को दिया गया प्रतियुत्तर बहुत ही शानदार रहा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया है। बंगलौर तथा हैदराबाद के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में लगभग पूर्ण हड़ताल रही। देश भर की कोयला खदानों में सामान्य गतिविधियां ठप्प हो गईं। हलदिया, दुर्गापुर, बरौनी, सिंधरी, रामगुंडम, कोचीन, नामरूप, गोरखपुर तथा मद्रास की उर्वरक इकाईयों में हड़ताल लगभग पूर्ण रही। इंडियन आयल कार्पोरेशन के उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ तथा समूचे उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में स्थित संयंत्रों एवं कार्यालयों में काम पूरी तरह ठप्प रहा। पश्चिम भारत में तेल उद्योग में आंशिक हड़ताल रही। समूचे तौर पर तेल उद्योग के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया है। बैंकों, बीमा निगम तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों ने भारी संख्या में देश में हड़ताल में भाग लिया। इंडियन एयर लाइन्स की सामान्य सेवा हड़ताल के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई। देश के सभी रक्षा-उत्पादन कारखाने बंद रहे।

दवा उद्योग में हड़ताल को शानदार प्रतियुत्तर मिला। औद्योगिक श्रमिकों के अतिरिक्त छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, और खेत मजदूरों ने भी बंद को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए शानदार काम किया है।

विभिन्न स्थानों पर राज्य प्रशासनों द्वारा भयानक दमन और लाठीचार्ज और अंधाधुंध गिरफ्तारियां किये जाने पर भी देश भर में छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, ग्रामीण जनता के हजारों की संख्या में रेल रोको, धरना देने जैसी कार्रवाइयों में भाग लिया है।

सर्वाधिक उल्लेखनीय बात महिलाओं की भारी संख्या द्वारा भारत बंद की सफलता के लिए काम करना है। उन्होंने जहां बंद की तैयारियों में बढ़-चढ़कर अपना योग-

[शेष पृष्ठ 15 पर]

आंगनवाड़ी केंद्रों के निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष

संतोष शर्मा

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका यूनियन जयपुर का द्वितीय जिला सम्मेलन 3 अक्टूबर को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स फेडरेशन की महामंत्री नीलिमा मोइत्रा ने आंगनवाड़ी कार्यक्रमों को निजी क्षेत्रों तथा धार्मिक ट्रस्टों को सौंपे जाने का विरोध किया, और चेतावनी दी कि इससे ऐसी संस्थाएं अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन कार्यक्रमों को इस्तेमाल करेंगी तथा कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का शोषण अधिक होगा, क्योंकि अभी भी इनको न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए मोइत्रा ने इस प्रकार के 600 केन्द्रों के निजीकरण को अविलम्ब निरस्त करने व इस प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया।

इससे पूर्व सम्मेलन में उपस्थित सभी साथियों ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद, लातूर, खिल्लारी आदि जिलों में भूकम्प से हुई भयंकर विनाश लीला पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए हजारों परिवारों के मृतकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

सम्मेलन में विगत वर्षों का लेखा-जोखा व सांगठनिक गतिविधियों के ब्यौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जिला जयपुर इकाई की महामंत्री सुशीला शर्मा ने राजस्थान के सामंती शोषण की विषम सामाजिक परिस्थितियों में संगठन को स्थापित करने की बाधाओं का वर्णन करते हुए संगठन से जुड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के संघर्ष की भूमिका को सराहा तथा राजस्थान में 100 केन्द्रों के निजीकरण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने के आह्वान को दोहराया।

रिपोर्ट पर हुई बहस में 15 प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रकट किये और रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

सम्मेलन में बिरादराना संगठनों की ओर से सीटू के महामन्त्री रविन्द्र शुक्ला ने भारत की नई आर्थिक नीतियों के तहत ही आंगनवाड़ी केन्द्रों के निजीकरण को जोड़ते हुए आगामी समय में गम्भीर परिणामों की चेतावनी दी तथा जनवादी महिला समिति की महामंत्री सुमित्रा चौपड़ा ने नई नीतियों के चलते महिलाओं की रसोई व अन्य कार्य क्षेत्रों के दोहरे शोषण की गंभीरता को दोहराते हुए महिलाओं की लामबन्दी को आवश्यक बताया। कच्ची बस्ती फेडरेशन के महामंत्री वकार-उल-अहद ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कच्ची बस्तियों में रहने वाली व मेहनतकश महिलाओं को एकजुट व सजग करने तथा उनका नेतृत्व उभारने की बात पर जोर देते हुए कच्ची बस्ती की मेहनतकश महिलाओं की गम्भीर समस्याओं पर भी प्रकाश डाला।

जनवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष बाबू लाल लुगरिया ने वर्तमान परिस्थितियों के गहराते संकट को सरकारी नीतियों का परिणाम बताते हुए समाज के सभी मेहनतकश तबकों महिलाओं, विद्यार्थियों, नौजवानों, मजदूरों आदि की विशाल एकजुटता का आह्वान किया।

सम्मेलन के समापन भाषण में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हेल्पर्स फेडरेशन की कोषाध्यक्ष नीना राव ने देश में बढ़ती हुइ साम्प्रदायिकता पर चिन्ता प्रकट करते हुए बताया कि इसका सर्वाधिक खामियाजा महिलाओं और बच्चों को उठाना पड़ता है, ऐसी गम्भीर परिस्थितियों में महिला संगठनों की एकता और शिक्षित महिलाओं की अगुवाई ही अलगाववादी व तत्ववादी ताकतों का मुकाबला कर सकती है।

सम्मेलन की अध्यक्षा प्रेमलता वर्मा ने की तथा कार्रवाई का संचालन रूक्मणी चन्दानी ने किया।

सम्मेलन के अन्त में नवीन कार्यकारिणी का सर्व-सम्मति से चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष—सावित्री शर्मा, उपाध्यक्ष आशा जैन व पुष्पा बंसल, महामन्त्री सुशीला शर्मा, संयुक्त मंत्री—उमा सैन व माया लखेरा, कोषाध्यक्ष—संतोष शर्मा, कार्यालय मंत्री रूक्मणी चंदानी एवं कार्यकारिणी के 20 सदस्यों को निर्वाचित किया गया।

जयसिंघपुर के तम्बाकू उद्योग की कामकाजी महिलाओं का खाड़कू संघर्ष

सूर्याजी सालुन्खे

किसी भी रूप में तम्बाकू का सेवन करना कैंसर को निमंत्रण देना है। तम्बाकू के धूम्रपान के विरुद्ध चाहे कितना भी जोरदार प्रचार क्यों न किया जाए किन्तु उसका परिणाम उत्साहजनक नहीं निकलता। जयसिंघपुर महाराष्ट्र में तम्बाकू उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की हालत अत्यंत दुखदाई है। जब आपको उनकी कामकाजी परिस्थितियों के सम्बन्ध में पता चलेगा तो आपका दुख और भी बढ़ जाएगा। पिछले कई वर्षों से कोल्हापुर जिले में स्थित जयसिंघपुर तम्बाकू उद्योग का बड़ा नगर बना हुआ है। इसके उत्पादन तथा बाजार में बेचे जाने का पूरा काम राजस्थान के तम्बाकू व्यापारियों के हाथों में है। किसानों से तम्बाकू पत्ते की खरीद से उनका काम शुरू होता है। इससे वे विभिन्न प्रकार की बीड़ियां और सिगरेट तैयार करते हैं, और उन्हें विभिन्न बाजारों में बेच देते हैं। इस प्रकार वे भारी मुनाफा कमाते हैं। हजारों महिलाएं तम्बाकू पत्ते से अच्छे उत्पादन तैयार करने का काम करती हैं। जयसिंघपुर में तो 50-60 वर्षों से महिलाएं यह काम कर रही हैं। तम्बाकू व्यापारियों ने जेलनुमा बड़े-बड़े भवन बना लिये हैं जहां पर ये महिलाएं काम करती हैं। इन भवनों को 'तम्बाकू कोटे' कहा जाता है। प्रत्येक कोटे में 7-8 महिलाएं बैठती हैं। वे तम्बाकू को साफ एवं फिल्टर करती हैं। यद्यपि वे पूरी सावधानी से काम लेती हैं तो भी तम्बाकू की धूड़ उनके नाक और मुंह में पड़ती रहती है। उससे बचाव का उनके पास केवल एक साधन ही होता है—वह साधन है अपनी साड़ी से मुंह को ढांपना। कहा जाता है कि तम्बाकू की गंध इतनी तेज होती है कि एक बार जो व्यक्ति उसके पास से गुजर जाता है, वह काफी देर तक छींके मारता है एवं खांसता रहता है। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग 'कोटे' में दिन के 10-12 घंटे बैठ कर काम करते होंगे कितना तम्बाकू सांस के द्वारा उनके शरीर के अंदर जाता होगा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई प्रकार के छाती के रोग लग जाते हैं जिनकी परिणिति कैंसर के रूप में होती है।

रोजगार के अवसर कम हुए

पांच साल पहले तक विभिन्न 'कोटियों' में 3000 से अधिक महिलाएं काम करती थीं। वे हाथ से काम करती थीं। अब छोटी-छोटी मशीनों हैपर, कटर, कार्डो मशीन इत्यादि का प्रयोग होने लगा है। एक हैपर मशीन 41 महिलाओं का काम करती है। अतः इस समय वहां 40 के स्थान पर केवल 6-7 महिलाओं की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें मशीन पर काम करना होता है जब कि शेष बेरोजगार होकर सड़कों पर घूम रही हैं। इस समय, इस उद्योग में केवल 600-700 महिलाएं काम करती हैं।

कोई कानूनी संरक्षण नहीं

इस उद्योग की स्वास्थ्य-विनाशक परिस्थितियों में काम करने वाली महिलाओं के लिये रोजगार की कोई गारंटी नहीं है! उनके लिये कोई बीमा योजना लागू नहीं की गई। यदि उन्हें टी. बी. या कैंसर हो जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाती। उन्हें प्रसूति-लाभ नहीं मिलता। मालिक 10 से कम महिलाओं को काम पर रखता है ताकि व फैक्टरी एक्ट से बचा रह सके। वे शाप एण्ड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के अन्तर्गत आते हैं और सरकार ने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। इन महिलाओं को भविष्य निधि सुविधा एवं ग्रैच्युटी नहीं दी जाती। उन्हें वही मिलता है जो शाप एण्ड एस्टेबलिशमेंट एक्ट उन्हें दिलाता है।

जब महिलाएं लाल झंडे के नीचे एकत्रित हुईं

सीटू ने उस समय महिलाओं को लाल झंडे के नीचे एकत्रित करना शुरू किया जब उन्हें प्रतिदिन 9 रुपये

वेतन के रूप से मिलते थे। वह वेतन भी नगद रूप में केवल 5-7 रुपये ही मिलता था। ऐसी स्थिति 1988 तक बनी रही। किन्तु 1988 के पश्चात् महिलाओं ने कई संघर्ष किये। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप उनका वेतन बढ़कर 15.50 रुपये प्रतिदिन हुआ। केवल यही नहीं वे दिवाली के अवसर पर 21 दिनों की छुट्टियां तथा बोनस देने की मांगे मनवाने में भी सफल रहीं। महिलाओं ने कई संघर्ष किये, प्रदर्शन किये, भूखहड़तालें कीं, अधिकारियों के घेराव किये तब जाकर ये मांगे मानी गईं। उन्हें जेल में भेजा गया। उन पर लाठी चार्ज किया गया। "मेरा नाम सोनूबाई (सोना) है किन्तु मैंने कोठी की चूड़ी पहन रखी है।" उन्हें प्रायः यही बात कहनी पड़ती थी।

महाराष्ट्र सरकार ने समिति बनाई

महाराष्ट्र सरकार ने तम्बाकू उद्योग में काम करने वाली महिलाओं के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करने हेतु एक समिति की स्थापना की। समिति ने सर्वसम्मति से 15 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की सिफारिश की। उस समय लाल झंडा यूनियन की ओर से समिति के सामने केस प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि वह उद्योग के श्रमिकों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था थी। वहां एटक और इंटक के प्रतिनिधि भी थे। इस समिति के जयसिंघपुर का दौरा किये जाने के समय सैंकड़ों महिलाओं ने समिति के सामने प्रदर्शन करके 15.50 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन तथा डी.ए. देने की मांग की थी। किन्तु समिति ने केवल 15 रुपये प्रतिदिन वेतन देने की सिफारिश की थी। इसके विपरीत महिलाएं पहले ही 15.50 रुपये प्रतिदिन वेतन ले रही थीं। इस पर महिलाओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि समिति उनके वेतनमानों में सुधार करने के स्थान पर, उनमें कटौती करने के लिये ही बनाई गई है।

सरकार की घोषणा

समिति की सिफारिशें मिलने के पश्चात् सरकार ने 7 अप्रैल, 1993 को 35 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन निर्धारित करने की घोषणा की। ज्यों ही समझौता वार्ता के निर्णय की घोषणा हुई, तम्बाकू उद्योग में सक्रिय लाल झंडा यूनियन ने उस पर अमल करने के लिये संघर्ष करने का फैसला किया। 35 रुपये के न्यूनतम वेतन की घोषणा पर अमल कराने हेतु महिलाएं संगठित होने लगीं। दूसरी ओर तम्बाकू व्यापारी और व्यापारिक क्षेत्र भयभीत होने लगे। उन्होंने संसद सदस्यों तथा विधायकों से सम्पर्क करना शुरू किया ताकि सरकार के निर्णय को बदला जा सके। उन्होंने प्रचार किया कि कमेटी ने केवल 15 रुपये देने की सिफारिश की है, फिर सरकार ने 35/- रुपये निर्धारित करने की घोषणा कर दी। उन्होंने धमकियां देनी शुरू कीं। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि सरकारी निर्णय पर अमल किया गया तो सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। वे मंत्रियों से मिले, उच्च न्यायालय के वकीलों से मिले। सरकारी नोटिफिकेशन पर स्थगन आदेश जारी करने की मांग की। किन्तु अपने इरादों में वे सफल नहीं हो सके।

दूसरी ओर 35 रुपये न्यूनतम वेतन देने की घोषणा पर अमल करने की मांग के लिए यूनियन ने 23 मई को मीटिंग करने का फैसला किया। उन्होंने 28 मई को एक दिवसीय हड़ताल करने का फैसला भी किया। बैठक में लगभग 400 महिलाएं शामिल हुईं। बैठक में निर्णय किया गया कि सवेरे 11 बजे महिलाएं अपने कोटे बंद कर देंगी। इसीलिए 600 महिलाओं ने जयसिंघपुर में सरकारी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन करने के साथ-साथ उसका घेराव भी किया। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाई गई बाड़ को तोड़ दिया तथा वे कार्यालय प्रमुख के कार्यालय में प्रविष्ट हो गईं। उन्होंने दो घंटे तक उसका घेराव किया। "हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। यह हमारा अधिकार है।" वे नारा लगा रहीं थीं। यह प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली था। नगर पालिका का पूरा क्षेत्र तथा उसके बाहर काफी दूर तक लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग महिलाओं की मांगों का समर्थन कर रहे थे। मालिकों को कहना पड़ा कि वे 22 जून तक अपना अन्तिम निर्णय दे देंगे। मालिकों ने चालबाजी से काम लिया। उन्होंने झूठ बोला कि कर्नाटक में निपानी के तम्बाकू व्यापार के बड़े केन्द्र में कर्मचारियों को 18 रुपये दैनिक वेतन मिलता है। वे उससे अधिक कैसे दे सकते हैं? यदि हम अधिक देंगे तो हम इस प्रतियोगिता में समाप्त ही हो

जाएंगे। यूनियन के नेताओं ने मालिकों को बताया कि निपानी केन्द्र में कर्मचारियों को 25 रुपये दैनिक मिलते हैं और हम 35 रुपये दैनिक देने की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग अवश्य पूरी की जानी चाहिए। 2 जून को मालिकों ने कुछ नहीं किया। लाल झंडा यूनियन ने एक बार फिर 3-4 जून को हड़ताल का नोटिस दिया तथा महिलाओं को तीन जून की बैठक के लिए एकत्रित होने की अपील की। महिलाएं इतनी उत्साह में थीं कि वे सभी की सभी बैठक में आईं और हड़ताल के लिए एकत्रित हो गईं। उन्हें अन्य साथियों के अतिरिक्त कामरेड सुमन संझगिरी ने भी सम्बोधित किया।

मालिक 2 जून की समझौता-वार्ता में भी शामिल नहीं हुए। सरकार ने एक बार फिर वार्ता की तिथि 12 जून तय की। तब भी मालिक बैठक में नहीं आए। मालिकों के हठी व्यवहार के विरुद्ध कर्मचारियों ने 14 जून को जिला अधिकारियों के पास जाने का फैसला किया। एक बार फिर सभी 600 महिलाएं भारी वर्षा के बावजूद इकट्ठी हुईं और उन्होंने बातचीत में भाग लिया। जिला अधिकारियों को मालिकों एवं कर्मचारियों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी और विवश होकर तम्बाकू व्यापारियों ने बैठक में भाग लिया। का. के.एल मलहाबादे एम एल. ए, का. चन्द्रशेखर यादव तथा अन्यों ने इस बैठक में भाग लिया।

खाड़कू संघर्ष की जीत

कर्मचारियों के नेता कामरेड सोलंके ने पहले ही तम्बाकू व्यापारियों को बता दिया था कि यदि उन्होंने 15 जून को समस्या का सर्वमान्य समाधाम न निकाला तो महिलाएं उस समय तक उनका घेराव करेंगी जब तक वे उनकी मांगें नहीं मानते। उसी दिन महिलाओं ने जिला भर में जुलूस निकाले। उन्होंने हाथों में गुब्बारे पकड़े हुए थे। और अपनी मांगों के पक्ष में वे नारे लगा रही थीं। जिला मुख्यालय में उन्हें बेहद अपमानजनक उत्तर अधिकारियों की ओर से मिला। उन्हें कहा गया—"आप अपने घर जाइये, इस समय भारी वर्षा हो रही है, आप वार्ता करने के लिए रात के समय यहां आयें। महिलाओं ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया "जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम न तो यहां से जाएंगी और न ही मालिकों को छोड़ेंगी।"

अन्ततः पुलिस तथा सम्बन्धित अधिकारियों ने मालिकों को तलब किया। तीन घंटों तक बहस होती रही। तब 7.50 रुपये दैनिक जो कुल 23 रुपये दैनिक और 195 रुपये मासिक बनती थी, तक वेतन बढ़ाने का फैसला हुआ। वहां पर यूनियन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये। कहा जाता है कि इस समझौते के कारण तम्बाकू मालिकों को 700 महिलाओं को 18 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यह समझौता केवल एक वर्ष के लिए है। उसके बाद फिर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा।

जीत की खुशी में नारे लगे

ज्यों ही समझौते की घोषणा हुई त्यों ही कार्यालय के बाहर बैठी महिलाएं और दूसरे लोग जोरदार आवाज में खुशी से नारे लगाने लगे। पटाखे छोड़े गए और विजय के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया। यह एक शानदार जीत थी। तम्बाकू उद्योग में कार्यरत महिलाओं के वेतनों में बड़ी भारी वृद्धि हुई थी। पूरे जयसिंघपुर शहर को इस विजय पर गर्व था। यह विजय महिलाओं द्वारा लाल झंडा यूनियन के झंडे तले निरंतर किये गए संघर्ष के कारण ही मिली थी। विजय की घोषणा करने के लिए जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को का. सूर्याजी सालुंके यूनियन सचिव के के अतिरिक्त कामरेड रत्नप्रभा भागवत तथा इचाल की नगरपिता कर्माजी इत्यादि अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया। इस सारे संघर्ष का नेतृत्व तम्बाकू महिला कर्मचारियों के प्रमुख नेताओं ने किया। इनमें फियावाई, अक्का ताई, कलसावा, सुरेखा और कई अन्य शामिल हैं। इसमें संदेह नहीं कि कामकाजी महिलाओं के जबर्दस्त संघर्ष और उसमें मिली जीत से प्रेरणा प्राप्त करके विभिन्न उद्योगों के कर्मचारी भी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने को तत्पर हुए हैं। उनमें एकता हुई है और वे संघर्ष के मैदान में निकल पड़े हैं।

आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना

[वहीं वापस जाइए, जहां कभी आप थीं ! ठीक यही भावना आज आर्थिक मंदे के दौर में रूसी महिलाओं में पाई जा रही है। इस सम्बन्ध में फ्रेड वेयर ने बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट दी है जो इस प्रकार है :]

अक्टूबर क्रांति ने रूस में सैक्स पर आधारित सभी असमानताओं को मिटाकर रख दिया था, किन्तु उसके 75 वर्षों के पश्चात् आज रूस की महिला अपने आपको उस स्थिति में फंसी हुई अनुभव कर रही है जहां बड़ी निर्ममता से पीछे की ओर लम्बी छलांग लगाई जा रही है।

महिलाएं जो अभी तक कुल श्रम शक्ति का 51 प्रतिशत थीं—उच्च शिक्षा प्राप्त सभी सोवियत श्रमिकों का 60 प्रतिशत थीं, को आज पीछे धकेला जा रहा है। उसके दिमाग की धुलाई की जा रही है और शीघ्र ही जिसकी भारी सम्भावनाएं विद्यमान हैं उसे एक गृहणी और माताओं की भूमिका निभाने पर विवश कर दिया जाएगा।

यह बात सर्वविदित है। श्रम बाजार में मंदा आने के कारण उपलब्ध नौकरियों की पुरुषों को आवश्यकता है। राज्य अब उस भारी खर्च को सहन नहीं कर सकता जो कभी वह क्रैच की सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रसूति अवकाश, बाल पोषण कार्यक्रम और ऐसी ही दूसरी संरचनाओं जो कामकाजी महिलाओं की सहायतार्थ शुरू की गई थीं, के विस्तृत नेटवर्क पर आता है।

कोई और देश होता तो वहां के मंत्री महिलाओं का हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना देते और बुरी परिस्थितियों का रोना रोते। किन्तु यह तो रूस है, भाई !

जब रूस के श्रम मंत्री गेनादी मेलिक्यान से रूस की की महिलाओं में चौंका देने की सीमा तक बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में पूछा गया तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया था ! इन परिस्थितियोंसे स्तब्ध और दुःखी विदेशी पत्रकारों के सामने यह कहकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी :

"हम महिलाओं को नौकरी क्यों दें जब हमारे यहां पुरुष ही बेरोजगार हैं !" क्या यह ठीक नहीं होगा कि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल करें और घर के काम में अपना मन लगाएं !

"मैं महिलाओं के अधिकारों पर हमला नहीं करना चाहता। किन्तु मैं इस बात पर पूरी गंभीरता से विचार कर रहा हूं कि महिलाएं काम क्यों करें जबकि पुरुषों के पास करने को कुछ नहीं है !" वह कहते गए।

श्री मेलिक्यान के अनुसार रूसी महिलाओं को सोवियत-दौर में वर्कर बनने पर विवश किया गया था। वह बहुत दुखद बात थी। "यह आर्थिकता विकसित करने करने की रणनीति के अन्तर्गत किया गया था। उस समय नई-नई रिक्तियां भरने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता थी।"

"किन्तु अब हमें ऐसा करने की जरूरत ही क्या है ?" इस प्रकार उन्होंने अपने कथन का समापन किया।

रूस में महिलाओं का संघ जो पुरानी अधिकारिक संस्था सोवियत महिलाओं की समिति की स्थानापन्न है, ही महिलाओं की एकमात्र ऐसी संस्था है जो नयी बाजार आर्थिकता में महिलाओं को काम पर बनाए रखने के लिए कुछ प्रयास कर रही हैं। सरकारी सहायता के बिना और सरकारी परिसरों को खाली करने की धमकियों के मिलते यह संस्था बेरोजगार महिलाओं की 'कामकाजी बुद्धि' को बनाए रखने के लिए, साप्ताहिक पाठ्यक्रम चलाती है।

"हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं जो इंजीनियर, अकादमिक शोधार्थी एवं प्रशासक हैं, हमारे पास आती हैं। वे बड़ी निराशाजनक स्थिति में होती हैं।" अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं की यूनियन की कोआर्डीनेटर वेरा सोबोलवा कहती हैं।

"प्रबंधकों ने उन्हें काम से हटा दिया होता है। उनसे कहा जाता है कि अब उन्हें काम पर रखना 'तर्कसंगत' नहीं रहा।

"हम उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में बताते हैं जहां अभी भी महिला वर्करों की आवश्यकता होती है। ये क्षेत्र हैं : कम्प्यूटर, आप्रेटर्स, हेयर ड्रेसिंग, बच्चों की देखभाल और घरेलू सेवाएं इत्यादि। लांडरी में काम करने हेतु

कपड़ों की सिलाई करने और घरों में मजदूरी करने के कामों की अच्छी संभावनाएँ हैं," उसने बताया।

इसमें संदेह नहीं कि अधिकांश महिलाएं इन कामों का सुझाव दिये जाने पर अत्यन्त अपमानित अनुभव करती हैं। वे प्रायः विश्वविद्यालयों में शिक्षित कारोबारी महिलाएं होती हैं। वे अपने-अपने क्षेत्रों में काम करना चाहती हैं। हम उन्हें झूठा दिलासा देती हैं और कहती हैं कि यह तो केवल अस्थाई समस्या है उसने कहा।

"हमारे पुराने समय में 80 प्रतिशत क्रैच सुविधाओं का संचालन उद्यमियों द्वारा किया जाता था। केवल 20 प्रतिशत सेवाएं नगर पालिकाएं उपलब्ध कराती थीं," श्रीमती सोबोलेवा ने रेखांकित किया। नए माहौल में जहाँ व्यवसाय का निजीकरण किया जा रहा है, बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा हेतु आर्थिकता का पुनर्गठन किया जा रहा है, सबसे पहले अदृश्य होने वाली सेवा— बच्चों की देखभाल करने से सम्बन्धित सेवा ही है।"

"यहां तक कि पालिका सेवाओं का भी निजीकरण किया जा रहा है। कई परिवारों के लिए तो ये सेवाएं बहुत महंगी हो गई है। राष्ट्रपति द्वारा निजीकृत केन्द्रों को अपने कामकाज की पद्धति बदलने सम्बन्धी आदेश दिये जाने पर भी उनमें में से अभिकांश को व्यापारिक दुकानों या कार्यालयों में परिवर्तित कर दिया गया है।"

महिलाओं के संघ के अनुसार जिन रूसियों की बहुसंख्या पर बेरोजगारी की गाज गिरने वाली है, वे महिलाएं ही हैं। उनकी संख्या 35 और 50% के बीच है।

युवा महिलाओं के सामने भिन्न प्रकार की रुकावटें मुँह बाए खड़ी हैं।

"नयी व्यापारिक संरचना में सेक्रेटरी, कलर्कों तथा सेल्ज गर्ल्स का काम है," श्रीमती नवीकोवा ने कहा, "किन्तु जो महिलाएं इन कामों को करना चाहती हैं, उन्हें भारी प्रतियोगिता में से गुजरना पड़ता है। कई बार तो उनका दैहिक शोषण भी होता है।"

"मालिक युवा और आकर्षक महिलाओं को नौकरी पर रखना चाहते हैं। प्रायः वे महिलाओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे साक्षात्कार के समय 'सैक्सी' कपड़े पहनकर आएं।"

इन दिनों प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में 'बी.के. गर्ल्स ओनली' शब्द लिखा गया होता है। यह कोड है 'बेज कोम्पलेकसोव' का अर्थात् ऐसी लड़कियां जो मालिकों के कुत्सित इरादों की पूर्ति में बाधा न बनें, ही आवेदन दें।

"एक सैक्रेटरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है" श्रीमती मोवीकोवा ने कहा। "एक लेखाकार (एकाउण्टेण्ट) 45 वर्ष से कम आयु की होना चाहिए। इससे बड़ी आयु महिलाओं के लिए तो आफत ही बन जाती है।"

ऐसी बातों के विरुद्ध सोवियत-युग के पुराने कानून हैं, किन्तु उनमें से किसी भी कानून का पालन नहीं किया जाता। आज के पुरुष बर्चस्व वाली मुक्त बाजार व्यवस्था में उन कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

"यहां तक कि मास्को रोजगार कार्यालय के अधिकारी भी रिक्तियों की जो सूची जारी करते हैं, उनमें आयु और लिंग इत्यादि निर्दिष्ट होते हैं," सोबोलेवा ने बताया, "कभी-कभी तो वे केवल 'बलोंडस ओनली' (केवल गौर वर्ण महिलाओं के लिए) को नौकरी की योग्यता के रूप में स्वीकार करते हैं।"

"हम उन्हें बताने का प्रयास करती हैं कि आप ऐसा नही कर सकते। इसका कोई लाभ नहीं होगा।"

रूसी प्रचार माध्यम जो अन्य मुद्दों पर तो प्रगतिशील हो सकता है किन्तु महिलाओं को पुरानी परंपरागत स्थिति की ओर धकेलने के अभियान में वह भी उत्साहपूर्वक भाग ले रहा है। यह वही स्थिति है जहां महिलाएं पुरुष पर निर्भर करती हैं।

एलवीरा नीवीकोवा जो नारीवादी संस्था लिंग अध्ययन संस्थान में काम करती है ने हाल ही में महिलाओं के प्रति मीडिया के रुख का सर्वेक्षण किया था। वह बताती हैं :

"मैं समझती हूं कि मीडिया में तीन प्रकार के गुट हैं जो अपने-अपने दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति अपने रुख का निर्धारण करते हैं। आप इसे ही सकारात्मक पहलू मान सकते हैं,"

"अधिसंख्य लोग महिला को कामुक गुड़िया के रूप में देखते हैं। वे सौंदर्य प्रतियोगिताओं की नायिकाओं,

अमीर व्यक्ति की पत्नी और यहां तक वेश्या के रूप में महिला को देखते हैं। महिलाओं को 'पुरस्कृत' करने हेतु घर, गहने, अच्छी कारें, विदेश यात्राओं इत्यादि की चर्चा की जाती है।"

दूसरे वर्ग के लोग महिलाओं से सम्बन्धित उन वस्तुओं के लिए चिंतित रहते हैं जिनका सीधा सम्बन्ध उनके कारोबार से होता है। किन्तु वहां कठोर परिश्रम की कहानियां नहीं कही जातीं और न ही सफलता के लिए किसी को पुरस्कृत करने की। इसकी अपेक्षा वे इन बातों में अधिक ध्यान देते हैं कि वह कैसे कपड़े पहनना पसन्द करेगी, वह छुट्टियां मनाने के लिए कहां जाना पसंद करेगी, उसके घर की साज-सज्जा कैसी होगी इत्यादि।"

"तीसरे—मुझसे कुछ न पूछें तो अच्छा होगा—वहां महिलाओं के बारे में असंख्य कहानियां प्रचलित हैं। ऐसी महिलाएं जो नन का व्यवसाय अपने लिए चुन लेती हैं। देश भर में दर्जनों नए कान्वेंट स्कूल खुल रहे हैं। सभी आयु वर्ग की महिलाएं जिनकी पृष्ठभूमि अलग-अलग होती है, इस व्यवसाय में शामिल हो रही हैं। प्रेस ऐसे मामलों में अत्यधिक दिलचस्पी ले रहा है।"

"जिस बात का नितांत अभाव है—वह है महिलाओं की अच्छी छवि। महिलाएं नयी परिस्थितियों में कैसे रह रही हैं, इस सम्बन्ध में कोई लेख प्रकाशित नहीं होता। यहां तक कि ऐसे समाचार भी प्रेस में प्रकाशित नहीं होते जिनमें महिलाओं की शौर्य गाथा कही गई हो। यह बताया गया हो कि वे कैसे अपने बूते पर आगे बढ़ीं। यद्यपि पश्चिमी देशों के प्रेस में इन्हें प्रकाशित किया जाता है।

"अपने मीडिया में हम महिलाओं के प्रति केवल नकारात्मक दृष्टिकोण ही पाते हैं। उन्हें जनता के शत्रु नंबर एक के रूप में वस्तुत किया जाता है। जब वह घर से काम पर जाती है तभी हमारी सभी सामाजिक समस्याओं का आरम्भ हो जाता है। इसके कारण हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक ढंग से नहीं होती, परिवार टूट जाते हैं; पुरुष शराब पीने लगते हैं; अपराध बढ़ने लगते हैं; लड़के समलैंगिक बन जाते हैं। इस प्रकार पूरी रूसी कौम ही मर रही है। क्या आप किसी और पाप की कल्पना कर सकते हैं?"

पुलिस ने आंगनवाड़ी सेविका पर झूठा मुकद्दमा बनाया

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन अजमेर की ओर से अपनी एक प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमती सुबोध चतुर्वेदी को पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाने, गाली गलौच करने और उसके पति को गायब किये जाने पर तीव्र रोष व्यक्त किया गया है। जिलाधीश को भेंट किये गए ज्ञापन में पुलिस तथा विशेष रूप से एस आई फूल मुहम्मद पर उसके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि पुलिस ने श्रीमती सुबोध चतुर्वेदी के विरुद्ध एक व्यक्ति की नसबन्दी के संबंध में मनगढ़ंत मुकदमा दायर किया है। जबकि उसका उस मामले से दूर का सम्बन्ध भी नहीं है। इसके विरुद्ध जब यूनियन की ओर से आवाज उठाई गई तो पुलिस ने बौखलाकर उनके पति को ही गायब कर दिया। यूनियन की महासचिव श्रीमती दुर्गेश शर्मा के हस्ताक्षरों वाले इस ज्ञापन में प्रशासन से श्रीमती चतुर्वेदी पर बनाया मुकदमा वापस लेने तथा उनके पति की तलाश अविलम्ब करने की मांग की गई है। मांगें न माने जाने की स्थिति में यूनियन ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

[पृष्ठ 8 का शेष]

दान डाला वहीं भारत बन्द वाले दिन पिकेटिंग, रास्ता रोको और धरना देने की कार्रवाइयों में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यहां इस तथ्य को विशेष रूप से उद्धरित किये जाने की आवश्यकता है कि इस अवसर पर फ्रांस, डेनमार्क, ग्रीस, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियनस ने संदेश भेजकर भारतीय जनता के संघर्ष में अपनी एकजुटता प्रकट की है।

जन-संगठनों का मंच जहां भारत बंद की शानदार सफलता के लिए देश की जनता को बधाई देता है वहीं सरकार से मांग करता है कि वह अपनी जन-विरोधी और साम्राज्यवाद समर्थक नीतियों के विरोध में जनता द्वारा की गई इस अभिव्यक्ति से सबक सीखे।

[पृष्ठ 2 का शेष

शिकार हो गए। समूचे देश की ओर से उनके वित्तीय एवं अन्य सहायता की जा रही है। विदेशों से भी सहामिल रही है। सभी राष्ट्रीय संगठन उनके लिए रक्तदान कर रहे हैं, धन दे रहे हैं। और लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार अपनी मशीनरी को गतिशील नहीं करती तब तक दूसरे संगठन कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। भूकम्प से पीड़ित लोगों को रहने के लिए छत चाहिए। उन्हें रोजगार की जरूरत है। उन्हें खाने और पहनने के लिए कपड़ा दरकार है। कुछ और जरूरतें भी हैं उनकी। केवल सरकार ही हंगामी स्तर पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है। इस बात को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि कई संगठनों द्वारा दिया गया धन पीड़ित लोगों तक अवश्य पहुंचे।

यह काम बहुत बड़ा है। मलबे में से ढूंढ़-ढूंढ़कर मृतकों की लाशों को बाहर निकालना और उनका दाह-संस्कार करना ताकि इससे कोई महामारी न फैल सके, छोटा काम नहीं है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार बीमारियां फैलनी शुरू भी हो गई हैं। इसके साथ ही पीड़ितों को रहने के लिए अस्थाई आवास उपलब्ध कराना और उन्हें हौंसला देना भी जरूरी है। वे अभी तक भूकम्प की भयावहता को नहीं भूले हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।

उन नन्हे बच्चों की देखभाल कौन करेगा जो अपने माता-पिता के संरक्षण से वंचित हो गए हैं। उनके आंसू कौन पोंछेगा ! उन्हें अब कौन पुचकारेगा, और गोदी में खिलाएगा। इसमें संदेह नहीं कि महिलाओं के संगठन इस काम के लिए आगे आएंगे। वे हर ढंग से ऐसे बच्चों की देखभाल करने का बीड़ा उठाएंगे। अन्य कई स्वयंसेवी संस्थाएं जिनमें एन.जी. ओस भी शामिल हैं, यह काम करने के लिए आगे आयी हैं। सभी का एकमात्र उद्देश्य है—पीड़ित लोगों की सहायता करना।

लगता है कि ऐसी त्रासदी को टालने के लिए कोई ठोस उपाय अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है। इस दिशा में कुछ ठोस शोध कार्य किए जाने की जरूरत है। यद्यपि कुछ दैनिक समाचार पत्रों ने रिपोर्ट दी थी कि पिछले दो-तीन वर्षों में भूचाल के कई झटके महसूस किए गए। ये रिपोर्टें अधिकारियों के पास पहुंची भी, किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। यह स्वाभाविक ही है कि अब केवल लातूर और उसमानाबाद के पीड़ित लोग ही नहीं अपितु सभी राज्यों के साधारण लोग अपने आप में असुक्षित महसूस कर रहे हैं। वे समझते हैं कि ऐसी भयानक त्रासदी उनके जीवन में कहर बरपा सकती है। लोगों के दिलों से भय को दूर किया जाना चाहिए और उन्हें हौंसला दिया जाना चाहिए। यदि फिर भी ऐसी त्रासदी होती है तो उस स्थिति में क्या किया जाए। इसका ज्ञान लोगों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए विशेषज्ञों द्वारा गंभीर शोध कार्य किए जाने की जरूरत है।

महाराष्ट्र में घटी त्रासदी हमारे देश में सभी की त्रासदी है। हम अभी तक इसके सदमें से उबरे नहीं हैं। हम जो भी सहायता करें चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो इस विश्वास के साथ करें कि वह दुर्भाग्य के मारे लोगों तक अवश्य पहुंचे। हम कम से कम कमला, मनु, रवि या उन जैसे ही अनेक पीड़ित बच्चों के आंसू तो पोंछ ही सकते हैं। काम बहुत बड़ा है किन्तु हम पीछे नहीं हटेंगे।

Book Post